GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)

RBE NO. 206/91

No.E(P&A)I-89/JCM/DC-5 New Delhi, dated 28-11-1991.

The General Managers,
All Indian Railways, etc.
(As per standard mailing list).

Subject: Grant of Hospital leave - Provisions under Rule 554-R.I., 1985 Edition.

Reference Board's letter of even number dated 21-8-91 on the subject cited above. Consequent upon discussions with the Staff side in the JCM/DC Meeting held on 5/6-9-91, the matter has been reviewed by the Board.

2. Accordingly, in partial amendment of the instructions contained in Para 3 of this office letter of even number dated 21-8-91, General Managers are empowered to relax the provisions of Rule 554-R.I., 1985 edition, in individual cases, meriting sanction of Hospital leave beyond a period of 120 days on leave salary equal to leave salary while on leave on average pay. Such cases are to be reviewed by the CMO personally and entered in a register to be maintained by CMO so that at any time the extant of the problem can be checked. Also, such cases are to be put up to the FA&CAO for his concurrence before these are put up to the General Manager for sanction. These powers are to be exercised personally by the General Managers and are not to be delegated further.

3. This has the approval of the President and issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

4. Necessary Code Corrections will follow.

5. Kindly acknowledge receipt.

(A.C.BAKSHI)
JOINT DIRECTOR, ESTT.(P&A),
RAILWAY BOARD.

No.E(P&A)I-89/JCM/DC-5 New Delhi, dated 28.11.91

Copy forwarded to the FA&CAO, All Indian Rlys etc.

(A.C.BAKSHI)
JOINT DIRECTOR, ESTT.(P&A),
RAILWAY BOARD.

.....2/-

NO.E(P&A)I-89/JCM/DC-5 New Delhi, dated 28.11.1991.

Copy to the ADAI(Railways), N.Delhi, with 40 spares.

for Financial Commissioner/Rlys.

No.E(P&A)I-89/JCM/DC-5 New Delhi, dated 28.11.1991.

Copy forwarded to :-

Federations and Staff Associations (As per standard mailing list No.III).

for Secretary/Railway Board.

Copy to :-

PS to CRB, FC, ME, MM, MS, ML, Adv(Staff), Adv(Finance) & Secretary.

Sr.PAs to EDPC, EDE, EDEB, EDF(B), EDE(N), EDE(IR), ED(PR) & EDPG.

PAs to DF(E), JDE(P&A), JDE(L), JDE(LL), JDE(D&A), WS(G), JS(E), DS(E), DS(G), DS(A), US(D&A)I & II, DDE(G), DDF(E)I, II & III, DDE(G)II.

E(P&A)II, PC III, PC IV, ERB-I, II, III, IV, E(O)I, E(O)II, III, CASH I, II, III, E(GC), Budget Branches,, E(LR)I, F(E)I, II, III, SPL, A/Cs III (with 10 spares), A/Cs Inspection Cell (with 3 spares), E(G) (with 5 spares), E(W), E(NG)I, II, E(D&A), Code Revision Cell.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

आर बी ई सं. 206 /91

सं. ई (पी एंड ए)1-89/जे सी एम/डी सी-5, नई दिल्ली, दिनांक 28.11.91

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें आदि
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय :- अस्पताल छुट्टी प्रदान करना - नियम 554-आर 1, 1985 संस्करण के अंतर्गत प्रावधान ।

यह पत्र उपरोक्त विषय पर बोर्ड के दिनांक 21.8.91 के समसंख्यक पत्र के संदर्भ में है । 5/6.9.91 को आयोजित संयुक्त परामर्श तंत्र/विभागीय परिषद की बैठक में कर्मचारी पक्ष के साथ हुए विचार विमर्श के फलस्वरूप बोर्ड द्वारा मामले की समीक्षा की गयी है ।

2. तदनुसार, इस कार्यालय के दिनांक 21.8.91 के समसंख्यक पत्र के पैरा 3 में निहित अनुदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए महा प्रबंधकों को नियम 554-आर 1, 1985 संस्करण के प्रावधानों में, ऐसे अलग-अलग मामलों में, जिनमें औसत वेतन पर छुट्टी वेतन के समतुल्य छुट्टी वेतन पर 120 दिन से अधिक की अवधि के लिए अस्पताल छुट्टी स्वीकृत करने की आवश्यकता हो, छूट देने की शक्ति प्रदान की जाती है ।

ऐसे मामलों की मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से समीक्षा की जाये तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा रखे गये रजिस्टर में प्रविष्टि की जाये ताकि किसी भी समय समस्या की जाँच की जा सके ।

.....2/-

ऐसे मांगलों को महाप्रबंधक की स्वीकृति के लिए भेजने से पहले वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी की सहमति के लिए भी भेजा जाये। इन शक्तियों का उपयोग महाप्रबंधकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाये ; तथा इन्हें आगे प्रत्यायोजित नि किया जाये ।

3. इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त है तथा रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है ।

4. आवश्यक संहिता संशोधन बाद में भेजा जाएगा ।

5. कृपया पावती दें ।

(ए. सी. बख्शी)
संयुक्त निदेशक, स्था. (वे. एवं भत्ते)
रेलवे बोर्ड ।

सं. ई(पी एंड ए)1-89/जे सी एम/डी सी-5 नई दिल्ली, दिनांक28.11.91

प्रतिलिपि प्रेषित :- वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, सभी भारतीय रेलें आदि ।

(ए. सी. बख्शी)
संयुक्त निदेशक, स्था. (वे. एवं भत्ते)
रेलवे बोर्ड ।

सं. ई(पी एंड ए)1-89/जे सी एम/डी सी-5 नई दिल्ली, दिनांक28.11.91

प्रतिलिपि प्रेषित :-

भारत के अपर उप नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (रेलें) नई दिल्ली, 40 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।

कृते वित्त आयुक्त/रेलें
नई दिल्ली ।

.....3/-

प्रतिलिपि प्रेषित :-

फैडरेशन तथा स्टाफ एसोसियेशन (मानक डाक सूची सं. III) के अनुसार)

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड ।

प्रतिलिपि प्रेषित /:-

अ.रे.बो., वि.आ., स. इंजी., स.यां., का.स., स.बि. सलाहकार (का.), सलाहकार (वित्त) तथा सचिव के निजी सचिव तथा अन्य ।